ईडी ने चंदा कोचर, उनके पति और वेणुगोपाल धूत से की पूछताछ

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आइसीआइसीआइ बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकान के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत से पूछताछ की। इन सभी से उनके कारोबार से संबंधित मनी लांड्रिंग मामले में पूछताछ की गई है। यह जानकारी अधिकारी ने दी।तीनों नियमित समन के तहत पेश हुए और मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत उनका बयान दर्ज किया गया है। बैंक और वीडियोकान समूह से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में ईडी पहले भी उनकी घेराबंदी कर चुका है। ईडी ने पिछले महीने चंदा कोचर और दीपक कोचर से दिल्ली कार्यालय में पूछताछ की थी और उनके बयान दर्ज किए थे। चंदा कोचर के देवर राजीव कोचर से भी इस मामले में ईडी कई बार पूछताछ कर चुका है। एक मार्च को छापामारी करने के बाद कोचर दंपती और धूत से ईडी ने मुंबई के जोनल कार्यालय में पूछताछ की थी। महाराष्ट्र के मुंबई और औरंगाबाद में चंदा कोचर, उसके परिवार और धूत के परिसरों पर छापामारी की गई थी।

ईडी ने इसी साल चंदा कोचर, दीपक कोचर, धूत और अन्य के खिलाफ पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया था। यह मामला आइसीआइसीआइ बैंक द्वारा कारपोरेट समूह को दिए गए 1,875 करोड़ रुपये के कर्ज में अनियमितता और भ्रष्टाचार से संबंधित है।

एमसीआइ की जगह एनएमसी से होगा मेडिकल शिक्षा में सुधार

उम्मीदें ▶ गत वर्ष एमसीआइ खत्म कर अध्यादेश से बना था बीओजी

मेडिकल शिक्षा में सुधारों और विस्तार का रास्ता होगा साफ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया संशोधन विधेयक को नए सिरे से लोकसभा में पेश किये जाने के बाद एमसीआइ के पूरी तरह खत्म होने की उम्मीद बढ़ गई है। विधेयक के संसद से पारित होने के बाद देश में मेडिकल शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए एमसीआइ की जगह राष्ट्रीय मेडिकल आयोग (एमएनसी) के गठन का रास्ता साफ हो जाएगा। यह विधेयक पिछले साल दिसंबर में लोकसभा से पास हो चुका है, लेकिन राज्यसभा से पास नहीं होने के कारण निरस्त हो गया था। सरकार पहले ही एमसीआइ को भंग कर चुकी है और उसका कामकाज 12 सदस्यीय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) देख रहा है।

1956 से देश में मेडिकल शिक्षा की निगरानी करने वाले एमसीआइ में फैले भ्रष्टाचार, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणियों और अदालत के आदेशों के खुलेआम उल्लंघन को देखते हुए सरकार ने पिछले साल सितंबर में एमसीआइ को भंग कर दिया था और उसके कामकाज को देखने के लिए वरिष्ठ डॉक्टरों के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन कर दिया था। इसके साथ ही संसद की स्थायी समिति के सुझाए संशोधनों के अनुरूप एक नया संशोधन विधेयक संसद से पास कराने का फैसला किया था। राज्यसभा में संशोधन विधेयक के अटक जाने के बाद सरकार को इस साल जनवरी में दोबारा बीओजी के लिए अध्यादेश जारी करना पड़ा था।

स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने उम्मीद जताई कि लोकसभा में भारी बहुमत और राज्यसभा में पिछली बार की तुलना में सत्तापक्ष में अधिक सदस्यों को देखते हुए एमसीआइ संशोधन विधेयक पास हो जाएगा। उनके अनुसार एमसीआइ देश में मेडिकल शिक्षा के विकास और विस्तार के रास्ते में सबसे बड़ा रूकावट बन गया था। एमसीआइ की कार्यशैली से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में उसके कामकाज की निगरानी के लिए छह सदस्यीय कमेटी का गठन का फैसला सुनाया था। लेकिन इसके बाद भी एमसीआइ पर कोई फर्क नहीं पड़ा और निगरानी समिति के सुझावों को उसने कोई तवज्जो नहीं दी। आखिरकार निगरानी समिति के सदस्यों ने भी इस्तीफा दे दिया था। आखिरकार सरकार को बीओजी का गठन करना पड़ा था।

वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार एमसीआइ के भंग किये जाने के बाद मेडिकल शिक्षा में सुधार का रास्ता साफ हुआ है। पहली बार एक साल में ढाई हजार से ज्यादा एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई जा सकी हैं। यही नहीं, सरकार ने 75 जिलों में नए मेडिकल कालेज खोलने की घोषणा की है। सरकार की कोशिश देश में प्रशिक्षित डॉक्टरों की कमी को दूर करना है ताकि लोगों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करायी जा सकें।

फिल्म 'आर्टिकल 15' के खिलाफ याचिका

माला दीक्षित, नई दिल्ली : फिल्म 'आर्टिकल 15' विवादों में घिरती नजर आ रही है। फिल्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया संस्था ने याचिका दाखिल कर कोर्ट से फिल्म पर रोक लगाने की मांग की है। फिल्म शुक्रवार को रिलीज हो गई है।

यह याचिका गत बुधवार को दाखिल हुई थी और शुक्रवार को फिल्म की रिलीज की तय तारीख को देखते हुए याचिकाकर्ताओं की ओर से गुरुवार को कोर्ट में मेंशन कर जल्द सुनवाई का आग्रह किया गया, लेकिन कोर्ट ने याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग ठुकरा दी। याचिका पर सुनवाई की अभी कोई तारीख तय नहीं हुई है।

संस्था की ओर से नेमिनाथ चतुर्वेदी ने याचिका दाखिल कर फिल्म का विरोध करते हुए कहा है कि फिल्म के जाति आधारित संवाद समाज में नफरत फैला सकते हैं। सच्ची आपराधिक घटना की पृष्ठभूमि बताते हुए फिल्म में झूठी, गलत और तोड़-मरोड़ कर कहानी पेश की गई है जिसके जाति आधारित संवाद आपत्तिजनक, अफवाह फैलाने वाले और समाज में नफरत पैदा करने वाले हैं।

याचिका में फिल्म के शीर्षक 'आर्टिकल 15' पर आपत्ति उठाते हुए कहा गया है कि इससे संविधान के आर्टिकल 15 के प्रति लोगों में गलत अवधारणा बनेगी। भारत सरकार की इजाजत के बगैर फिल्म का नाम 'आर्टिकल 15' नहीं रखा जा सकता।

संसद प्रश्नोत्तर

नाइजीरिया में अगवा किए गए पांच भारतीय नाविकों को छुड़ाया गया

▶ जहाजरानी राज्य मंत्री ने दी जानकारी

नई दिल्ली, प्रेट्र : नाइजीरिया में एक जहाज से अगवा किए गए पांच भारतीय नाविकों को दो महीने की कैद के बाद छुड़ा लिया गया। जहाजरानी राज्यमंत्री मनसुख मंडाविया ने यह जानकारी शुक्रवार को दी। उन्होंने बताया कि 19 अप्रैल को इनका 'एमटी एपेकस' जहाज से अपहरण किया गया था और इन्हें नाइजीरिया के बोनी द्वीप पर ले जाया गया था।

मंडाविया ने एक बयान में कहा कि समुद्र में व्यापारिक जहाजों से होने वाले अपहरण से उत्पन्न संभावित सुरक्षा स्थितियों से निपटने के लिए जहाजरानी मंत्रालय के नेतृत्व में अधिकारियों का एक अंतर मंत्रालयी समूह का गठन किया गया था। बयान में कहा गया कि नाइजीरिया की राजधानी अबुजा स्थित भारतीय उच्चायोग ने इस संबंध में नाइजीरियाई प्रशासन को अवगत कराया। इसके बाद नाइजीरियाई नौसेना ने उन्हें बचाने की कार्रवाई शुरू की। इसके अलावा क्षेत्रीय समुद्री बचाव और समन्वय केंद्र (आरएमसीसी), नाइजीरिया ने भी इस मामले में मदद की। राज्य मंत्री ने कहा कि जहाजरानी मंत्रालय और भारतीय उच्चायोग के प्रयासों से 27 जून को सभी नाविकों को छुड़ा लिया गया। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने नाविकों को छुड़ाने में सहयोग के लिए नाइजीरिया सरकार की सराहना की है।

दुबई में बंधक बनाकर रखी गईं महिलाओं को छुड़ाया

नई दिल्ली, प्रेट्र : दुबई में अपने नियोक्ता द्वारा ठगी गईं और अवैध रूप से हिरासत में रखी गईं चार महिलाओं को वापस स्वदेश लाया जा रहा है। सभी पीड़ित तमिलनाडु की हैं। यह जानकारी विदेश राज्यमंत्री वी मुरलीधरन ने दी। उन्होंने शुक्रवार को एक ट्वीट में बताया कि स्थानीय प्रशासन की मदद से बचाव अभियान दुबई स्थित महावाणिज्यिक दूतावास ने चलाया।

संसद भवन को देखने की चाह सभी को होती है। बीजद के युवा सांसद अनुभव मोहंती शुक्रवार को अपनी तेरह माह की बेटी को लेकर संसद पहुंचे। इस दौरान वह कुछ इस अंदाज में दिखे। एएनआइ

जम्मू-कश्मीर को लेकर पंडित नेहरू को जिम्मेदार ठहराना मनगढंत : कांग्रेस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ गृहमंत्री के बयान पर मनीष तिवारी ने कहा, मुद्दे भटकाने से सामान्य नहीं होंगे सूबे के हालात

▶ सदन में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी शाह के बयान पर कई बार आपत्ति जाहिर की

नई दिल्ली में शुक्रवार को लोकसभा में बोलते कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी (टीवी ग्रैब)। प्रेट्र

जम्मू-कश्मीर के हालात के लिए देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराने के गृहमंत्री अमित शाह के दावों को खारिज करते हुए कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर कश्मीर को लेकर मिथ्या प्रचार का आरोप लगाया है। पार्टी के अनुसार, भाजपा सरकार जम्मू-कश्मीर के बिगड़े हालत पर नाकामी छिपाने के लिए इतिहास और व्यक्ति विशेष को दोषी ठहराने की कोशिश कर रही है।

जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव पर लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर निराशा जाहिर करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री ने जम्मू-कश्मीर के अहम सवालों को घुमाने का प्रयास किया और विपक्ष के कई प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए। सूबे के हालात सामान्य बताने के शाह के बयान पर सवाल उठाते हुए तिवारी ने कहा कि गृहमंत्री ने इसका जवाब नहीं दिया कि जब स्थिति सामान्य है तो फिर वहां विधानसभा चुनाव क्यों नहीं कराए गए। लोकसभा चुनाव में केवल 5 से 7 फीसद वोट क्यों पड़े जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में 64 फीसद मतदान हुआ था। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सच्चाई यह है कि केंद्र की राजग सरकार और जम्मू-कश्मीर में पिछले साल तक रही पीडीपी-भाजपा सरकार की नीतियों से सूबे के हालत बिगड़े। उन्होंने कहा कि ताकत की नीति के साथ नरम नीति का संतुलन जम्मू-कश्मीर की स्थिति सुधारने के लिए जरूरी है मगर गृहमंत्री के भाषण में इसका भी समायोजन नहीं दिखा।

मनीष तिवारी ने कहा कि हम बीते 70 साल के सूबे के इतिहास पर सदन के बाहर या भीतर तथ्यों के साथ चर्चा के लिए तैयार हैं। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान से जम्मू-कश्मीर को लेकर अक्टूबर 1947 से जनवरी 1949 तक लंबी लड़ाई चली और उसमें हमारी सेना ने कामयाबी हासिल की और सरकार की पूरी रणनीति में पीएम नेहरू के साथ गृहमंत्री सरदार पटेल साथ थे। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के हालत के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वह केवल पाकिस्तान है। सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी शाह के जवाब पर कई बार आपत्ति जताई।

राज्यसभा के लंबित बिलों को पारित कराने का नायडू ने दिया मंत्र

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ सरकार और विपक्ष को आपस में बातचीत करते रहने की दी सलाह

राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को लंबित बिलों को पारित कराने का सदन को एक नया मंत्र दिया। उन्होंने इसके लिए सरकार और विपक्ष दोनों को लगातार आपसी बातचीत जारी रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि यह औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की होनी चाहिए। नायडू ने इस दौरान सदन के शांतिपूर्ण संचालन को लेकर खुशी जताई और कहा कि उच्च सदन को उच्च मापदंड कायम करने चाहिए।

नायडू ने शुक्रवार को शून्य काल में जल संरक्षण और पर्यावरण जैसे विषयों पर हुई सफल चर्चा के लिए सदस्यों को धन्यवाद दिया और उम्मीद जताई कि सदन के सदस्य ऐसे ही और भी गंभीर विषयों पर सार्थक चर्चा करेंगे।

उन्होंने इस दौरान सदन के लंबित बिलों की भी सभी को याद दिलाई और कहा कि इसके लिए सरकार और विपक्ष को नए सिरे से चर्चा शुरू करनी चाहिए। दोनों को ही इसे लेकर गंभीर रुख दिखाना चाहिए तथा बातचीत करनी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री को इसके लिए पहल करनी चाहिए। नायडू ने सदन के नेता और संसदीय कार्यमंत्री से यह सुनिश्चित करने को कहा कि शून्य काल के दौरान पूछे गए सवालों का जवाब देने के लिए मंत्री सदन में मौजूद रहें।

नायडू ने बताया कि सदन में करीब 32 से ज्यादा बिल लंबित हैं। इनमें से बहुत से ऐसे बिल भी हैं, जो पिछली सरकारों के कार्यकाल के हैं। इनमें तीन बिल 20 वर्ष से ज्यादा लंबित हैं। ऐसे में सभी को एकजुट होकर इनके निपटारे की कोशिश करनी चाहिए अन्यथा यह सदन के रिकार्ड में दर्ज ही रहेगा। आने वाले लोग इसे लेकर सवाल खड़ा करेंगे। तब यह भी पूछा जाएगा कि उस समय कौन सदन का नेता था और कौन विपक्ष का नेता था।

सदन में लंबित बिलों को लेकर नायडू ने पिछले दिनों भी सदन में चिंता जताई थी। साथ ही ऐसे नियम बनाने की वकालत की थी, जिसमें पांच साल पुराने सभी लंबित बिल स्वतः ही रद्द हो जाएं। लोकसभा में मौजूदा समय में ऐसी ही व्यवस्था है, जहां लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के साथ ही सभी लंबित बिल स्वतः निष्प्रभावी हो जाते हैं।

वेंकैया नायडू फाइल फोटो

बेनेगल समिति की सिफारिश सेंसर बोर्ड करे प्रमाणन निकाय की तरह काम

नई दिल्ली, प्रेट्र : जानेमाने फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी सिफारिश में कहा है कि सेंसर बोर्ड केवल प्रमाणन निकाय की तरह काम करे। समिति ने कहा है कि फिल्म में काटने, संशोधन और बदलाव की कोई प्रणाली नहीं होनी चाहिए। लोकसभा में शुक्रवार को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी।

कांग्रेस नेता शशि थरूर के केंद्रीय फिल्म प्रमाणन (सीबीएफसी) के प्री-सेंसरशिप शक्तियां खत्म करने की जरूरत पर लिखित प्रश्न के उत्तर में जावड़ेकर ने कहा कि बेनेगल की अगुआई में गठित विशेषज्ञों की समिति ने अपनी रिपोर्ट का पहला हिस्सा अप्रैल 2016 में और अंतिम रिपोर्ट जून 2016 में सौंप दी थी।

राज्यसभा में गूंजा उत्तर प्रदेश के आवारा पशुओं का मुद्दा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश के आवारा पशुओं का मुद्दा राज्यसभा में गूंजा। समाजवादी पार्टी ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया और कहा कि अब यह आवारा पशु फसलों को ही नहीं, बल्कि हिंसक होकर लोगों पर भी हमला कर रहे हैं। पार्टी ने सरकार से मांग की है कि वन्यजीवों के हमले पर दिए जाने वाले मुआवजे की तरह आवारा पशुओं के हमले पर भी लोगों को मुआवजा दिया जाए। साथ ही इनसे फसलों को होने वाले नुकसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल करने की भी मांग की।

समाजवादी पार्टी के सांसद रवि प्रकाश वर्मा ने राज्यसभा में शून्यकाल में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आवारा पशुओं की समस्या अभी भी जस की तस की बनी हुई है। फसलों को भारी नुकसान हो रहा है।

अनुच्छेद 370 अस्थायी व्यवस्था

प्रथम पृष्ठ से आगे

जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 पर विपक्ष की आशंकाओं का जवाब देते हुए अमित शाह ने उन्हें इस अनुच्छेद को ठीक से पढ़ने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि खुद अनुच्छेद में ही साफ तौर पर लिखा गया है कि यह अस्थायी है। लेकिन उन्होंने अनुच्छेद 370 पर सरकार की किसी कार्ययोजना की जानकारी नहीं दी।

जमाते इस्लामी पर नकेल : शाह ने कहा, किस तरह से 70 वर्षों में जमाते इस्लामी की धार्मिक कट्टरता ने कश्मीरियत खत्म करने का काम किया है। पंडित और सूफी विचारधारा कश्मीरियत का अभिन्न अंग है। मोदी सरकार पहली बार जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध लगाकर कश्मीरियत को फिर से बहाल करने की कोशिश कर रही है।

आयोग जब चाहे चुनाव कराए : राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के विपक्ष के विरोध और विधानसभा चुनाव कराने की मांग पर शाह ने कहा, चुनाव कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। आयोग जब भी तय करेगा सरकार चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं विपक्ष की ओर आशंका जताई गई कि सरकार फिर परिसीमन या फिर किसी अन्य बहाने से आगे भी राष्ट्रपति शासन बढ़ाने की कोशिश कर सकती है।

पीयूष गोयल ने कहा, रेलवे सुरक्षा बल में 4500 महिला कांस्टेबलों की होगी भर्ती

▶ प्रधानमंत्री के निर्देश पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी : गोयल

▶ रेलवे के निजीकरण की बात को केंद्रीय मंत्री ने सिरे से किया खारिज

नई दिल्ली, प्रेट्र : रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) में महिलाओं की कमी को देखते हुए सरकार ने आरपीएफ में खाली पड़े 9000 पदों में से आधे पदों पर महिलाओं की भर्ती करने का फैसला लिया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि आरपीएफ में अभी महिला कांस्टेबलों की संख्या सिर्फ 2.25 फीसद है। प्रधानमंत्री के निर्देश पर मंत्रालय ने अगली भर्ती में आधे पदों पर महिलाओं की भर्ती करने का फैसला किया है।

त्रि-नेत्र तकनीक का किया जा रहा है परीक्षण : एक अन्य सवाल के जवाब में गोयल ने बताया कि रेलवे में सुरक्षा से जुड़ी 'त्रि-नेत्र तकनीक' का सघन परीक्षण चल रहा है। उन्होंने बताया कि कोहरे में रेलवे ट्रैक पर किसी भी प्रकार की बाधा को पहचानने में सक्षम इस तकनीक का परीक्षण पूरा कर, प्रयोजन के लिए इस्तेमाल में लाए जाने के माकूल पाए जाने तक इसे लागू नहीं किया जा सकता।

रेलवे के निजीकरण की योजना नहीं : राजधानी और शताब्दी जैसी रेलगाड़ियों के निजीकरण की बात को सिरे से खारिज करते हुए रेल मंत्री गोयल ने कहा कि रेलवे के निजीकरण की कोई योजना नहीं है। उन्होंने राज्यसभा में सपा सदस्य सुरेंद्र सिंह नागर के सवाल के जवाब में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

पीयूष गोयल फाइल फोटो

बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए जापान से 24 ट्रेन सेट खरीदने की योजना : एक सवाल के जवाब में रेल मंत्री गोयल ने बताया कि मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड परियोजना के लिए जापान से 24 ट्रेन सेट खरीदने की योजना है। इस परियोजना की रोलिंग स्टॉक खर्च सहित कुल लागत 1,08,000 करोड़ रुपये है। इसमें से 81 फीसद जापान अंतरराष्ट्रीय कोआपरेशन एजेंसी से कर्ज के माध्यम से जुटाया जाएगा। यह परियोजना 2023 तक पूरी की जानी है।

चलती ट्रेन में वाईफाई सुविधा मुहैया कराने की परियोजना स्थगित : एक सवाल के जवाब में रेल मंत्री गोयल ने कहा कि रेल मंत्रालय ने चलती गाड़ी में वाईफाई सुविधा मुहैया कराने की योजना को त्याग दिया है। उन्होंने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत रेलवे ने हावड़ा राजधानी ट्रेन में इंटरनेट आधारित वाईफाई सुविधा दी दी। यह सेवा उपग्रह संचार तकनीक के माध्यम से दी गई। रेल मंत्री ने यह भी कहा कि देश भर के 1,606 स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई सुविधा दी जा चुकी है और इसी वर्ष शेष 4,791 स्टेशनों को भी सुविधा मुहैया करा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे रेल में यात्रा करने वाले को सुविधा होगी। वे मुफ्त में इस सुविधा का भाग उठा सकेंगे।

इस्लामिक बैंकिंग से जुड़ी कंपनी की 209 करोड़ की संपत्ति जब्त

▶ समूह के पोंजी स्कीम घोटाले के मामले में ईडी ने की कार्रवाई

बेंगलुरु, प्रेट्र : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस्लामिक बैंकिंग और हलाल निवेश फर्म आइ मॉनेटरी एडवाइजरी (आइएमए) की 209 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली है। मनी लांड्रिंग अधिनियम के तहत ईडी ने यह कार्रवाई समूह की पोंजी घोटाले स्कीम के मामले में की है। कुर्क की गई संपत्तियों में 20 अचल संपत्तियां और कई बैंकों में जमा राशि शामिल है। बता दें कि कंपनी ने जमा पर अधिक ब्याज का लालच देकर हजारों निवेशकों को ठगा है। इसमें प्रमुख रूप से मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल थे।

ईडी के बेंगलुरु स्थित कार्यालय ने 197 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति और बैंक खातों में लगभग 12 करोड़ रुपये की जमा राशि की कुर्की के लिए अस्थायी आदेश जारी किया है। ईडी के मुताबिक कुर्क किए गए 51 बैंक खातों में 98 लाख रुपये थे जबकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत चालू एचडीएफसी बैंक अकाउंट में 11 करोड़ रुपये थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा की थी। हाल में ईडी ने आइएमए ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसके भगोड़े प्रमोटर और प्रबंधक निदेशक मंसूर खान के खिलाफ मनी लांड्रिंग अधिनियम के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था। यह कार्रवाई ईडी ने तब की जब उसे पता चला कि 40 हजार निवेशकों के हजारों करोड़ रुपये डूबने के बाद प्रमोटर भूमिगत हो गया है। ईडी ने कहा कि नोटबंदी के दौरान मंसूर खान ने विभिन्न बैंक खातों में लगभग 44 करोड़ रुपये की नकदी जमा कराई थी जिसके बाद आयकर विभाग ने उसके खिलाफ कार्रवाई की थी। इसके बाद मंसूर खान और आइएमए समूह ने 22 करोड़ रुपये का कर चुकाया था।

ईडी ने कर्नाटक के मंत्री को पूछताछ के लिए बुलाया

बेंगलुरु, प्रेट्र : आइएमए पोंजी घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी ने कर्नाटक के नागरिक आपूर्ति और वक्फ मंत्री बी जेड जमीर अहमद खान को नोटिस जारी किया है। उन्हें पांच तारीख को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हालांकि खान ने बेंगलुरु स्थित संपत्ति की बिक्री के अलावा कंपनी के भगोड़े प्रवर्तक मोहम्मद मंसूर खान से किसी तरह के संबंधों से इन्कार किया है।

राहुल के फैसला वापस लेने की एक फीसद भी संभावना नहीं : मोइली

हैदराबाद, प्रेट्र : कांग्रेस नेता एम. वीरप्पा मोइली का कहना है कि राहुल गांधी के पार्टी अध्यक्ष पद पर बने रहने की एक फीसद भी संभावना नहीं है, क्योंकि वह इस्तीफा देने के अपने फैसले पर अडिग हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में फैसला कांग्रेस कार्यकारी समिति ही लेगी।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली ने शुक्रवार को पत्रकारों द्वारा राहुल गांधी के इस्तीफे की पेशकश के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, कुछ भी हो सकता है। आज मुझे यह कतई नहीं लगता है कि राहुल गांधी के फिर से पार्टी अध्यक्ष बनने की एक फीसद भी संभावना है। हालांकि किसी अन्य नाम पर विचार करने से पहले कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में इस बारे में फिर गहन विमर्श होगा। साथ ही उन्होंने कहा, जब तक कि कार्यसमिति उनका इस्तीफा मंजूर नहीं कर लेती तब तक यह अटकलें और आग्रह चलते रहेंगे।

मोइली ने उन अटकलों पर टिप्पणी करने से मना कर दिया जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ नेताओं ने राहुल से अपील की है कि वह अपनी जगह प्रियंका को अध्यक्ष का पद संभालने दें। उन्होंने कहा, वह कार्यसमित के इस बारे में उचित कदम उठाने का इंतजार करेंगे। मोइली ने पिछले हफ्ते कहा था कि चुनाव में जबरदस्त हार के बाद कांग्रेस को एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत है।

सबको आवास

सरकार ने कहा, आवास बनाने को दी जा रही धनराशि में वृद्धि का नहीं है प्रस्ताव, चालू वित्त वर्ष में सरकार बनाएगी ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 60 लाख मकान

आइआइटी की डिजाइन पर बन रहे गरीबों के घर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

'सबको आवास' देने वाली योजना में धनराशि बढ़ाने का सरकार के पास फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय ग्रामीण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवासीय योजना में बनाये जाने वाले मकानों की डिजाइन आइआइटी दिल्ली ने तैयार की है। इसमें शौचालय और रसोईघर भी बनाये जा रहे हैं। चालू वित्त वर्ष में सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 60 लाख मकान बनाएगी। वर्ष 2022 तक सभी गरीबों को मकान मुहैया कराने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा।

ग्रामीण विकास मंत्री तोमर राज्यसभा के प्रश्नोत्तर काल में पूछे सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि अगले वित्त वर्ष 2020-21 में 70 लाख आवास और 2021-22 में 65 लाख मकान बनाने की योजना है। वर्ष 2022 में न्यू इंडिया के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2.95 करोड़ मकान की जरूरत होगी, जिसे चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। तोमर ने बताया कि पीएमएवाइ की समीक्षा के बाद सरकार ने बनाये जाने वाले मकानों के लिए 1.50 लाख रुपये की धनराशि में कोई वृद्धि न करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

नरेंद्र सिंह तोमर फाइल फोटो

तोमर ने कहा कि योजना में मकान बनाने के लिए 1.20 रुपये मिलता है, उसके साथ 18 हजार रुपये मनरेगा के मद से मजदूरी और 12 हजार रुपये शौचालय बनाने वाला पैसा भी मिल रहा है। इस तरह यह धनराशि डेढ़ लाख बैठती है। दिल्ली गरीबों के आवास के बारे में पूछे सवालों पर तोमर ने दिल्ली सरकार से अपील की कि वह प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ गरीबों तक पहुंचाने की राह का बाधाएं दूर करे। तोमर राज्यसभा में शुक्रवार को पूरक सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने माना कि दिल्ली में गरीबों के लिए मकान बनाए गये हैं, लेकिन उन्हें आवंटित करने में कुछ बाधाएं हैं, जिन्हें दूर करने की जरूरत है। केंद्र ब्याज सब्सिडी देता है, जिन्हें लिंक कराने में कहीं देरी हो रही है।

उन्होंने बताया कि ग्रामीण गरीबों को लिए जहां प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) है, वहीं शहरी क्षेत्रों के लिए शहरी योजना है। योजना की शुरुआत 25 जून 2015 में की गई थी। सबको आवास देने वाली योजना के लिए कुल 2.95 करोड़ मकान बनाने हैं। इसके पहले चरण में कुल एक करोड़ मकान बनाकर गरीबों को सौंप भी दिये गये हैं। जबकि बाकी 1.95 करोड़ मकान अगले तीन सालों में बनाने हैं। योजना के तहत उन्हीं लोगों को मकान की सुविधा दी जा रही हैं, जो सामाजिक-आर्थिक जनगणना-2011 में चिन्हित वंचित व गृह विहीन लोगों को दिये जा रहे हैं। लाभार्थी गरीबों का चयन ग्राम सभा करती है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में 24 जून 2019 तक कुल एक करोड़ मकान बनाने की जरूरत है। इसमें से 81 लाख से अधिक मकानों की मंजूरी मिल चुकी है। इसमें से 26 लाख मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है, जिन्हें लाभार्थियों को आवंटित कर दिया गया है। सरकार ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया है कि वे अपने यहां की जरूरतों का ब्योरा भेज दें, ताकि 2022 तक उन्हें बनाया जा सके।

चमकी बुखार से निपटने को लंबी अवधि की योजना

नई दिल्ली, प्रेट्र : लोकसभा में बिहार के मुजफ्फरपुर में इंसेफिलाइटिस सिंड्रोम (चमकी) बुखार से 100 से अधिक बच्चों की मौत के मुद्दे पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि बिहार में चमकी बुखार अब नियंत्रण में आ रहा है। बच्चों के इलाज के लिए एन वार्ड और एंबुलेंस की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि दुख है कि कई बच्चों की मौत हो गई लेकिन हमने आवश्यक कदम उठाए हैं।

स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि सरकार इससे निपटने के लिए लंबी अवधि की योजना पर काम कर रही है। बच्चों को आयुष्मान भारत योजना की सुविधा मिल रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य राज्यमंत्री ने कहा कि चमकी बुखार को देखते हुए तीन उच्च स्तरीय टीम को केंद्र सरकार ने बिहार भेजा था। यहां तक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी मुजफ्फरपुर अस्पताल दौरे के दौरान 100 से अधिक मरीजों को देखा था। चमकी बुखार से पूरे बिहार में 150 से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है। इसमें100 से अधिक बच्चों की मौत तो केवल मुजफ्फरपुर में हुई है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी